IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के श्रम चिंतन पर अध्य्यन

Manoj Kumar, Research

Scholar, Department of History
Central University of Himachal Pradesh, thak

शोध सारांश –

डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत में अपने समय के ऐसे एक महान विचारक, नेता और बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने न केवल लाखों अस्पृश्यों के जीवन को बदला, बल्कि अपना संविधान लिखकर भारत को एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आकार दिया। हम में से बहुत से लोग भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एक समाज सुधारक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने भारत में अछूतों के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन! बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाबा साहेब एक महान विद्वान थे, जिन्होंने एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कानूनी विद्वान, शिक्षाविद्, पत्रकार, सांसद के साथ-साथ समाज सुधारक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया। डॉ अम्बेडकर अर्थशास्त्र में महान उल्लेखनीय योगदान देने वाले बहुआयामी व्यक्तित्वों में से एक थे, उन्होंने देश में दलितों का नेतृत्व किया और वे अपने समय से बहुत आगे थे। अम्बेडकर के अर्थशास्त्र के विचारों का न केवल सामाजिक आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा बल्कि श्रम कल्याण एवं श्रम सुरक्षा को भी नई दिशा मिली। प्रस्तुत शोध पत्र में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के श्रम कल्याण एवं श्रम सुरक्षा के क्षेत्र में दिए गये उत्कृष्ट योगदान के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया गया है और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर भी विचार किया गया है।

संकेत शब्द : संविधान, अछूत, अर्थव्यवस्था, मुद्रा, भूमि सुधार, श्रम, जाति प्रणाली।

भूमिका

प्राचीन काल से ही मानव ने अपने श्रम के बलबूते पर न जाने कितनी सभ्यताओं का सृजन किया उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता आदि। श्रम के कारण ही मानव जीवन धीरे-धीरे परिष्कृत होकर आधुनिकता के दौर में पहुंचा और मानव श्रम का स्वरूप भी लगातार बदलता चला गया। मानव श्रम के बदलते स्वरूप के साथ-साथ विद्वानों ने भी अपने-अपने दृष्टिकोण से मानव श्रम का अध्ययन

करने का प्रयास किया। मानवीय श्रम के इसी परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करे तो पाएंगे कि भारत एक विविधता संपन्न बहु सांस्कृतिक देश है। जहां विभिन्न दर्शन एवं चिंतन अनवरत रूप से फलत-फूलते रहे हैं अगर हम व्यापक तौर पर विचार करें तो देखे कि भारत में दो प्रकार की संस्कृतिया पलवित होती रही जिसमें एक संस्कृति जो श्रम को महत्व देती है श्रमण संस्कृति के नाम से जानी जाती है। इस संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई साधु-संतों महाऋषिओं और महापुरुषों ने अतुलनीय योगदान दिया है। '**बहुजन हिताय बहुजन सुखाय**' का नारा श्रम कल्याण एवं श्रम सुरक्षा के आदर्श को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है।[1] वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथों में यत्र-तत्र ऐसे मूल्यों का उल्लेख अवश्य आता है परंतु उसमें कोई ठोस संस्थागत आधार नहीं मिलता जैसा कि बुद्ध के वांग्मय (साहित्य) में श्रम तथा श्रमिकों से संबंधित भारतीय इतिहास में कई विवरण देखने को मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख, आईन-ए-अकबरी आदि का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि मौर्य काल में अमिका के साथ अच्छा व्यवहार तथा नियमित मजदूरी दी जाती थी लेकिन साथ ही प्राचीन ग्रंथों में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते है। जहां मानव कल्याण तथा श्रम कल्याण संबंधी कई सीमाएं उभर कर सामने आती हैं।[2]

वहीं आधुनिक भारत में श्रम तथा श्रमिक चिंतन का अवलोकन करने पर श्रम से जुड़े कई पेचीदा बिंदु सामने आते हैं औपनिवेशिक काल में पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारत में चाय बागान के विकास, लौह इस्पात उद्योग के आरंभ, 19वीं सदी के मध्य में रेल निर्माण एवं इसी काल में पूर्वी भारत में खनन कार्य विश्व युद्ध के समय कोलकाता तथा उसके आसपास जूट उद्योग, मुंबई अहमदाबाद में सूती उद्योग इत्यादि के विकास ने भारत में बहुत बड़े स्तर पर मजदूर वर्ग को जन्म दिया। इसके अलावा तथाकथित औपचारिक क्षेत्रों के मजदूर, घरेलू नौकर बाजारों में कार्यरत मजदूर पलायन कृषक आदि मजदूर वर्ग थे।[3] बीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों में मजदूर वर्ग के आकार में विशाल वृद्धि हुई जनगणना आंकड़ों के अनुसार 1911 में 303 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 21 लाख संगठित क्षेत्र के मजदूर थे। तथा 1911 से 1921 के बीच में इसमें लगभग 5.75 लाख मजदूरों की वृद्धि हुई श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ श्रम समस्याओं से जुड़े कई मुद्दे सामने आए जैसे कि कार्य स्थलों पर श्रमिक शोषण और ठेकेदारी प्रणाली से श्रमिकों का शोषण कई कार्य स्थलों पर किसी उद्योग में विभिन्न विभाग पूरी तरह से धार्मिक संप्रदायों और सामाजिक समूहों द्वारा संचालित होते हैं। अक्सर अच्छी नौकरियां ऊंची जातियों के लोग पाते थे, जबकि निचली जातियां और अछूतों के हिस्से में कम वेतन वाली एवं जोखिम भरी नौकरियां आती थी, इसके साथ साथ व्यापारिक और आयात निर्यात के इस दौर में श्रम के कई विभिन्न पहलू देखने को मिलते हैं।[4]

डॉ. भीमराव का जीवन परिचय तथा श्रम चिंतन

19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 14 अप्रैल 1891 को मध्य भारत में इंदौर के पास महू नामक स्थान पर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जो आगे जाकर बाबा साहेब अंबेडकर कहलाए। लाखों लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले व मूक लोगों का नेतृत्व करने के कारण प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे एवं दलित, निर्धन और श्रमिक वर्ग के नेता बने बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भीमराव अंबेडकर का श्रम कल्याण एवं श्रम सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का संपूर्ण श्रमिक वर्ग उनका ऋणी रहा है उन्होंने श्रम कल्याण की पृष्ठभूमि तैयार की तथा श्रम सुरक्षा व श्रम कल्याण के लिए कानून पारित करवाए।[5] जहाँ एक और भारतीय आर्थिक समस्याओं के हल खोजने में तथा भारतीय अर्थशास्त्री विचार विकसित करने में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, निसंदेह ही उनका जीवन चिंतन इतना विस्तृत है लेकिन आज भी समाज में उन्हें सामाजिक सुधारों और संविधान निर्माण में योगदान के रूप में ज्यादा जानता है, यधपि उनका आर्थिक चिंतन भी इतना व्यापक रहा है कि उन्होंने अर्थ चिंतन से संबंधित **ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन** तथा **अर्थ प्रबंधन**, **ब्रिटिश भारत में प्रादेशिक वित्त विकास** जैसे अनेक विदत्तापूर्ण शोध कार्य किए तो दूसरी और **रुपया की समस्या उद्गम तथा समाधान** यह मौलिक कार्य मौद्रिक अर्थशास्त्र तथा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र शाखाओं के अंतर्गत आते हैं।[6] खोती प्रणाली (बेगार) और महार वतन की निर्मूलन के संबंध में डॉ. अम्बेडकर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य उन्हें एक सक्रिय कृषि अर्थशास्त्री के रूप में प्रस्तुत करता है।[7] मजदूरों के लिए अम्बेडकर द्वारा किया गया संघर्ष उन्हें एक मजदूर नेता की भूमिका में प्रदर्शित करता है, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाल कर उन्होंने अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के संबंधों को स्पष्ट किया। इतना ही नहीं ग्रामीण गरीबों के लिए उनका परिश्रम वैसे ही है जैसे आधौगिक मजदूरों के लिए, श्रमिक अभियानों के विषय में यह मानते थे कि कर्मचारी संगठन श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है फिर भी उनमें अस्पृश्य कर्मचारियों की मनुष्य होने के नाते जो समस्याएं थी उनके प्रति उदासीन थे।[8] 1936 में डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की इसमें स्वतंत्र शब्द उस समय के साम्यवादी मजदूर अभियानों से भिन्न होने का परिचायक है। उनके द्वारा स्थापित स्वतंत्र मजदूर पक्ष का घोषणा पत्र आज भी भारत के शोषित उत्पीडित जनता के आर्थिक विमोचन का आर्थिक कार्यक्रम के रूप में सराहनीय है। 1970 के दशक में चलाए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने के कई कार्यक्रमों का मूल स्त्रोत स्वतंत्र मजदूर पक्ष का यह घोषणा पत्र ही है।[9]

डॉ. अम्बेडकर ने मजदूर नेता के रूप में मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष तो किया ही साथ ही उन्होंने 1942-46 में वायसराय के प्रथम राष्ट्रीय मंत्री मंडल में मजदूर प्रतिनिधि के रूप में मजदूरों के कल्याण के लिए अथक प्रयत्न किए। रोजगार विनिमय केंद्रों की स्थापना, काम के घंटे निर्धारित करना, वेतनमान निर्धारित करना, आधोगिक कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश दिलवाने जैसे अनेक विधि प्रावधानों को अस्तित्व में लाने का श्रेय डॉ. भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है भारत में मालिक मजदूर के संबधों की नींव अम्बेडकर ने ही डाली।[10] एक अर्थशास्त्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण कार्य किया भारत में जाति

प्रथा और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक समस्याओं का उन्होंने आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण किया। श्रम विभाजन के विश्वमान्य सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा के समर्थन में जो प्रयास उस समय किया जा रहा था उस पर डॉ अम्बेडकर की तीक्षण आलोचना उनकी बुद्धि कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। डॉ. अम्बेडकर द्वारा जाति प्रथा पर हमला केवल तथाकथित उच्च वर्गियों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए नहीं था बल्कि उसमें आर्थिक प्रगति और विकास का विचार अंतर्भूत था। उन्होंने यह बताया कि जाति प्रथा के कारण श्रमिक और पूंजी दोनों की ही गतिशीलता कम हो जाती है किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति यदि अपनी रुचि और प्रवृत्तियों के अनुरूप व्यवसाय अपनाता है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बल मिलता है।[11] इसी से देश का आर्थिक विकास होता है और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है। वहीं उनका मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है जहां शोषण का समूल नाश कर दिया जाता है, जहां एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं किया जाता है, जहां बेरोजगारी नहीं है, जहां गरीबी नहीं है, जहां किसी व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं है, अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप जहां व्यक्ति अपने धंधे की हानि तथा रोजी-रोटी की हानि के भय से मुक्त है।[12] अम्बेडकर के विचार चिंतन से श्रम के बारे में उपजी कुछ प्रवृत्तियों की संक्षिप्त झलक यहां प्रस्तुत करना अर्थ पूर्ण होगा। अम्बेडकर ने भी कार्ल मार्क्स की तरह सर्वहारा वर्ग को मान्यता दी परंतु भारत के संदर्भ में मूल सर्वहारा के अर्थ में उनके अलग विचार थे। जहां कार्ल मार्क्स दस्तकारी वर्ग आदि को मूल सर्वहारा वर्ग कहते हैं वहीं अम्बेडकर के अनुसार भारत में 'अछूत' मजदूरों की वह श्रेणी है जो सर्वहारा कही जा सकती है।[13] मजदूर एकता के पक्षधर रहे अम्बेडकर का मानना था कि भारत में मजदूर वर्ग में एकता नहीं है। जातिगत बेडियां और छुआछूत ने मजदूर वर्ग में भी भेद पैदा किया है। उनका मानना था कि सभी भेदों को खत्म करके मजदूर एकता स्थापित करें और संगठित होकर गरीबी की समाप्ति के लिए तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। भीमराव अम्बेडकर का ध्येय समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित मजदूर राज्य कायम करना था। जिसमें किसी का शोषण ना हो, ये सभी राष्ट्र हित में कार्य करें, अपनी सोच के अनुरूप उन्होंने (1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया।[14] श्रम नीति, श्रम सुरक्षा व श्रम कल्याण के संदर्भ में भीमराव अम्बेडकर ने कई अथक प्रयास किए श्रमिक संहिता, श्रम विधि बनाने में देरी ना करना, गरीबी श्रम विधि निर्माण में बाधा ना बने, श्रम विधि में एकरूपता हो और श्रम कल्याण राज्य का दायित्व हो आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं से हमें उनके चिंतन की स्पष्ट एक झलक मिलती है। मजदूर हित के साथ-साथ राष्ट्रहित जुड़ा है इसी ध्येय के साथ डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। राष्ट्र की संपदा के राष्ट्रीयकरण से ही राष्ट्र एक समृद्ध देश बन सकता है ऐसे में श्रमिक भी राष्ट्रहित में कुर्बानी दे सकता है।

श्रम कल्याण एवं श्रम सुरक्षा

अम्बेडकर ही वे प्रथम व्यक्ति थेए जिन्होंने बम्बई विधायिका में बेगारी जैसी प्रथाओं पर कानूनी रोक लगवाई। खोती सिस्टम और महार वतन आदि कारगुजारियों पर अंकुश लगवाकर अम्बेडकर ने किसानों को मजदूरों के आम आंदोलन से जोड़ाए वहीं मजदूरों व कर्मचारियों को भी किसानों से जोड़ा। अम्बेडकर कहते हैं कि अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना होगाए क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र सदैव नहीं बना रहता हैए यदि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो तो... **(संसदीय बहसए भाग दोए पृ. 979)** स्पष्ट हैए श्रम कल्याण व श्रम सुरक्षा को वे सामाजिक

लोकतंत्र के हिस्से के रूप में आंकते थे। उनका मानना था कि आज भी श्रमिक अपने जीवन को अच्छा बनाने व गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्षरत है तो इसका सबसे बड़ा कारण हैए हमारे सामाजिक जीवन में लोकतंत्र अभी तक नहीं आया है। राजनीतिक जीवन की लोकतांत्रिकता श्रम हित साध्य तब तक नहीं हो सकती हैए जब तक श्रम विधि में भी उनके जीवन की हालातों को लोकतांत्रिक नहीं बना दिया जाए अतः वे इस हेतु श्रम हित कार्य करना आवश्यक मानते थे। अम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता माने जाते हैं और मजदूरों का कल्याण व सुरक्षा सामाजिक न्याय के आधार हैं अतः वे इसको सामाजिक न्याय प्राप्ति के लिए भी आवश्यक मानते थे।[15] अम्बेडकर का मानना था कि देश की जनता का बहुसंख्यक भाग मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता है अतः उनके हितों कि सुरक्षा एवं कल्याण में ही राष्ट्र का हित निहित है श्रम कल्याण व श्रम सुरक्षा के उपायों में सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देना, श्रम सुरक्षा व श्रम कल्याण की यह उनकी महत्त्वपूर्ण अवधारणा थी।

श्रम सुरक्षाओं के बारे में विश्व में **सर विलियम बेवरीज** की रिपोर्ट बहुत चर्चित रही है। इंग्लैण्ड में जून 1941 में सामाजिक बीमा एवं संबंध सेवाओं की चल रही राष्ट्रीय योजनाओं का सर्वे करने तथा जरूरी सिफारिशें देने के लिए विलियम बेवरीज की नियुक्ति की गई थी। जिसे वहां की पार्लियामेण्ट में दिसंबर 1942 में पेश किया गया था। बेवरीज ने सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरत के प्राथमिक कारणों के रूप में आठ बातें निर्धारित की थीं व उनका विस्तृत वर्णन इसमें पेश किया गया था। इनमें बेकारीए असमर्थताए जीविकाए बुढ़ापाए विवाहए मृत्युए शारीरिक रोग व असमर्थताए बाल्यावस्थाए आदि का वर्णन था। विश्व में बेवरीज की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट एक ऐतिहासिक दस्तावेज व अन्वेषण माना जाता है।[16] आंबेडकर श्रम कल्याण व सुरक्षा पर **6** सितम्बर **1943** को बोलते हुए कहते हैं कि बेवरीज रिपोर्ट तो मात्र एक संयोग या आकस्मिक घटना हैए जिसने सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। वर्ना ये दुख व दर्द तो श्रमिकों के लिए सदियों से चले आ रहे हैं व हम उन्हें नजरअंदाज करते जा रहे हैं। अम्बेडकर कहते कि हमारे जीवन में विरोधाभास है, इसलिए हम अपने संकल्पों को मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं। ऐसे विरोधाभासों के कारण ही हमारे राजनेता व मजदूर नेता पूर्ण संकल्पबद्ध होकर मजदूर के आरामयुक्त जीवन और कार्य दशा की बेहतरी हेतु कार्य नहीं कर पा रहे हैं।[17] संविधान में एकरूपता पर जोर डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में एकरूपता पर जोर दिया। भारत जैसे विशाल देश के लिए श्रम विधायन में एकरूपता का सिद्धांत महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने श्रम को संविधान के अंतर्गत रखा ताकि विधायन की एकता द्वारा श्रमिक हितों को पर्याप्त लाभ मिले। यही नहींए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बराबर एकरूपता के लिए भी श्रमिकों को पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। श्रम विधि में एकरूपता हो- आंबेडकर इस बात के प्रबल पक्षधर थे कि सम्पूर्ण भारत में एक समान श्रम विधि व्यवहरत होनी चाहिए। क्योंकि भारत विभिन्न प्रांतों का एक संघ हैए ऐसे में अगर प्रत्येक प्रांत को अपने यहां अलग-अलग विधि बनाने की स्वतंत्रता होती है तो उससे कई तरह की विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। यह सर्वविदित है कि **गर्वनमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935** के अधिनियम से भारत एक संघ बन चुका था और अम्बेडकर ने 1942 में वॉयसराय हिन्द की कार्यकारिणी में श्रम मंत्री का पद संभाला था। श्रम विधि की एकरूपता के बारे में संयुक्त श्रम अधिवेशनए जो शुक्रवार 7 अगस्तए 1942 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ थाए इसमें ऐसी स्थिति के बारे में बताते हैं कि संघीय संविधान बनाए जाने पर श्रम विधि को समवर्ती सूची में डालने से बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हुई है। ऐसे में अगर कोई भी केन्द्रीय विधि नहीं होगी तो प्रत्येक प्रांत अपनी सुविधा के विशेष कानून बनाएंगेए जो अपने दूसरे पड़ोसी राज्यों से भिन्न होंगे। ऐसा होने पर वे आगे कहते हैं - सामान्य अवधारणाओं और राष्ट्रीय महत्त्व की अवधारणाओं पर प्रांतीय अवधारणाएं हावी होंगी। अतः उन्होंने कांफ्रेंस का पहला उद्देश्य ही यही तय किया कि श्श्रम विधि में एकरूपताश लाई जाए।[18]

डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने 1936 में **स्वतंत्र श्रमिक दल (प्दकमचमदकमदज स्ंइवनत च्ंतजलद्ध** का गठन किया था व 1937 में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था। बम्बई विधान सभा में उस समय अम्बेडकर विपक्ष के नेता थे। उनके घोषणा पत्र में एलान किया गया था कि उद्योगों में नियोजनए बर्खास्तगी व पदोन्नति के लिए विधि निर्मित की जाएगी और कार्य के अधिकतम घण्टोंए पर्याप्त वेतन का प्रावधान व सवैतनिक छुट्टी आदि के बारे में भी विधि निर्मित की जाएगी। औद्योगिक कामगारों व कृषि कामगारों के लिए श्रम कल्याण व श्रम सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए जाएंगे। उनके द्वारा 1937 में की गई घोषणाओं की पूरा करने के लिए उन्होंने अपने श्रम मंत्रित्व काल में अनथक प्रयत्न किये और व्यवस्थाओं को साकार रूप दिया।[19] इसके अलावा अम्बेडकर ने कई संस्थाओं के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो श्रम और श्रमिक कल्याण में कार्यरत थीं। इन उपायों अर्थात् संस्थागत व्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण - त्रिपक्षीय संगठन व्यवस्था है, पर कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है जो अम्बेडकर की बुद्धिमत्ताए दूरदर्शिताए लगन व अनथक व्यक्तिगत प्रयत्नों के कारण उदित हुई। ये हैं-औद्योगिक समितियांए वर्क्स कमेटियांए श्रम कल्याण कार्यालयए नियोजन कार्यालयए श्रम ब्यूरो कार्यालयए प्रधान कारखाना सलाहकारए कर्मचारी राज्य बीमा निगमए भविष्य निधि आयोगए कोयला खान कल्याणए कल्याण आयुक्तए अभ्रक श्रम कल्याण आयुक्तए खान निरीक्षकए औद्योगिक ट्रिब्यूनल इसके साथ ही वेतन बोर्ड व विभिन्न आयोग व समितियां यथा जार्ज कमेटीए रेगे आयोगए अडारकर आयोग आदि। ये ऐसी व्यवस्थाएं हैंए जो श्रम कल्याण व श्रम सुरक्षा के क्षेत्र में आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं।[20]

बाबासाहेब के कार्यकाल में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण स्वास्थ्य बीमा योजनाए औद्योगिक विवाद निपटानए श्रम आवासए सवैतनिक छुट्टीए ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रेशनए महंगाई भत्ताए अनुपस्थिति सेवा रिकार्डए वेतन बोर्ड नियोजन कार्यालय काम के घण्टे कम करनेए श्रम कल्याण ट्रस्ट गंदगी निवारण के उपायए श्रमिक शिक्षा व प्रशिक्षणए श्रमिकों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने व विभिन्न आयोग गठित करनेए कैण्टीन व्यवस्था लागू करनेए भविष्य निधिए पेंशन व परिवार पेंशनए पुनर्स्थापनाए क्षतिपूर्तिए नेशनल सर्विस लेबर ट्रिब्यूनलए महिला प्रसूति अवकाशए वेतन भुगतानए अनैच्छिक बेरोजगारीए उचित वेतनए सांख्यिकी उपलब्ध करवाने हेतु यान्त्रिकी आदि के बारे में बड़ी महत्त्वपूर्ण संकल्पनाएं दीं व उन पर श्रम सन्नियम सुनिश्चित करवाए।[21] ये तो कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैंए जिनका श्रेय आंबेडकर को ही जाता है। अन्यथा उनके बाद भी श्इण्डियन लेबर कांफ्रेंसश व्यवस्था उसी ढांचे में चल रही है परन्तु अभी तक धरती का लेवल ऊपर नहीं उठा है। श्रम कल्याण व श्रम सुरक्षा के बाबत कुछ छुट-पुट मुद्दों को छोड़कर स्थिति वहीं की वहीं हैए जहां पर आंबेडकर ने छोड़ा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाये जिन्हें निम्न रूप वर्णित किया जा सकता है

श्रम प्रशासन व्यवस्था - श्रम कमिश्नर आंबेडकर 27 अक्टूबर 1944 को श्रम सम्मेलन में कहते हैं कि कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं हैए जो श्रम कानूनों को कारगर ढंग से लागू करने में एक एजेन्सी का कार्य कर सके। जब तक ऐसी मशीनरी नहीं बनाई जाती हैए श्रम सुरक्षा व श्रम कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। अतः केन्द्रीय व राज्य स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाई जानी अति आवश्यक है।[22] अपनी इस सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने श्रम कानूनों के प्रशासन का एक ढांचा खड़ा किया और यह व्यवस्था आज भी विद्यमान है बाबासाहेब ने जिस ठोस आधार पर इसका संरचनात्मक स्वरूप तय किया व महत्ता प्रतिपादित कीए उसी का प्रतिफल है कि यह व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है। पहली बार 1937 में श्रम कार्यों हेतु एक अलग विभाग बनाया गया और उस समय केन्द्रीय सरकार में वॉयसराय हिन्द की कार्यकारिणी का श्रम मंत्री ही श्रम समस्याओं को देखता थाए जिसके अधीन श्रम विभाग व कुछ अन्य महकमें हुआ करते थे। इससे पूर्व भी 1927 में शाही आयोग गठित किया गया था। उसने भी राज्य स्तर तक श्रम प्रशासन व्यवस्था बनाए जाने की सिफारिश की थी।[23] बाबासाहेब आंबेडकरए जैसा कि पूर्व में कहा गया है श्स्वतंत्र श्रमिक दलश के घोषणा पत्र के अनुसार ऐसी व्यवस्थाओं को अंजाम देने हेतु संकल्पबद्ध थे। अतः जब उनको इस क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ तो अन्यव्यवस्थाओं के साथ-साथ इस व्यवस्था को भी अंजाम दियाए उसे स्थायित्व बनाए रखने की सभी व्यवस्थाएं मौजूद थीं। इस व्यवस्था का नाम दिया- प्रधान श्रम आयुक्त। बाबासाहेब ने इसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं के कर्मचारियों के कल्याण व औद्योगिक विवादों को निपटाने तथा समझौते व्यवस्था को कारगर बनाने हेतु की थी।[24] आंबेडकर ने अगस्त 1945 में माननीय एस.सी. जोशी को मुख्य श्रम आयुक्त (दिल्ली मुख्यालय)ए तथा माननीय डी. जी. जाधव को बम्बईए डॉ. सेठ को कलकत्ता व माननीय अबु तालिब को लाहौर हेतु क्षेत्रीय उपायुक्त और साथ ही एक उपायुक्त व 9 सुलह अधिकारी व 24 श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति करके इस व्यवस्था को व्यवहारिक अंजाम भी दिया। औद्योगिक संबंधों की इस व्यवस्था का कार्य विविध तरह का है। आज भी इसके कार्य विभिन्न क्षेत्रों में हैं यथा खानए तेल क्षेत्रए प्रमुख बन्दगारए बैंकिंग एवं बीमा कम्पनियांए केन्द्रीय सरकार द्वारा या इसके अधीन रेलवे कंपनी द्वारा चलाए गए उद्योगों आदि तक विस्तृत है।[25] इसके कार्यों में औद्योगिक विवादों को निपटानाए अवार्डों और निबटारों को लागू करनाए केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी तक श्रम कानूनों का प्रशासनए श्रमिक संगठनों के सदस्यों की संख्या की जांचए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रतिनिधित्व देना आदि है। जहां तक राज्यों में इस व्यवस्था का प्रश्न हैए इस हेतु भी आंबेडकर ने एक राज्य स्तरीय ढांचे की व्यवस्था दीए जो छोटे स्तर पर दो क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों से शुरू हुई थीए आज विस्तृत जाल बिछा चुकी है। इस व्यवस्था से कई कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। वे सभी कर्मचारी आंबेडकर के निश्चित रूप से ऋणी हैं।

श्रम कल्याण समिति - बाबासाहेब आंबेडकर ने 7 अगस्त 1942 को एक और व्यवस्था प्रणाली को जन्म दिया। यह व्यवस्था भी उनकी व्यक्तिगत रुचि का प्रतिफल थी। आंबेडकर ने जिस अधिवेशन में श्रम सम्मेलन व स्थाई श्रम सम्मेलन को नया रूप दिया व प्राण फूंके उसी अधिवेशन में एक तीसरे गठन की आवश्यकता प्रतिपादित की थी और उसके कार्यों का भी निर्धारण किया। इस तीसरी संस्था को आंबेडकर ने श्श्रम कल्याण समितिश का नाम दिया। इसके गठन का प्रावधान निम्नवत रखा गया। (अ) स्थाई श्रम समिति द्वारा चुने गए सदस्यए ;आ) एक-एक प्रतिनिधि नियोजकों से तथा संगठित व असंगठित उद्योगों व अन्य निगमोंए संस्थाओं के नियोजकों सेए ;इ) सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यए ;ई) भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि व (उ) प्रान्तीयसरकारों के प्रतिनिधि । इस प्रकार बाबासाहेब आंबेडकर ने श्रमिकों की सहभागिता को भी व्यावहारिक रूप दिया। श्रम सम्मेलन व स्थाई श्रम समिति को तदर्थ समितियां गठित करने का भी अधिकार दिया गया ताकि वे श्रम समस्याओं का अध्ययन करनेए उन पर रिपोर्ट तैयार करने व अनुशंषा करने के कार्य को अंजाम दे सके।[26] बाबासाहेब आंबेडकर चाहते थेए जैसा कि उन्होंने घोषित किया- लेबर वेलफेयर कमेटी के कार्य श्रम कल्याण व श्रम विधि के प्रशासन से सम्बंधित हों। उनके अनुसार वह उन सभी मुद्दों पर भी सरकार को अनुशंषा देगी जो सरकार द्वारा अनुशंषा हेतु सौंपे जाते हैं। श्रम पुरोधा यह सब प्रस्ताव रखते वक्त कहते हैं कि यह उनकी व्यक्तिगत हैसियत से श्रम सम्मेलन में एक सदस्य होने के नाते आपके सामने रख रहे हैं। स्पष्ट हैंए इन संस्थाओं के विकास में इनकी व्यक्तिगत रुचि व संकल्पबद्धता की स्पष्ट छाप रही है।[27]

श्रम अन्वेषण समिति - बाबासाहेब आंबेडकर एक श्रमिक नीति के पक्ष में ही नहीं थेए अपितु वे श्रमिकों की सुरक्षा व कल्याण के लिए एक कार्यक्रम भी बनाना चाहते थेए जो अनवरत रूप से चलता रहे। वे कहते हैं- मैं एक कदम आगे की बात कहता हूं मात्र ध्येय नहीं.. एक क्रियान्वयन कार्यक्रम बनाया है। इस हेतु वे कहते हैं उन्होंने अन्वेषण समिति की नियुक्ति की है व और कमेटियों की नियुक्ति करेंगेए जो इस देश के श्रम हालातों का समग्र रूप से सर्वे करेगी।[28] इस समिति की 34 रिपोर्ट 1946 मार्च तक आ चुकी थी। साथ ही एक रिपोर्ट जो रिपोर्टों का सार थीए वह भी आ चुकी थी। श्रम की सभी स्थितियों का जायजा दर्शाने वाली इन रिपोर्टों में 20 लाख शब्दों में श्रम हालात का वर्णन किया गया है। इसकी स्थापना बाबासाहेब आंबेडकर ने 12 फरवरी 1944 को की थी। जिसे अध्यक्ष माननीय डी.वी. रेगेए आई.सी.एस. थेए दूसरे सदस्य थे माननीय एस.आर. देशपाण्डेए डॉ. अहमद मुख्तार व प्रो. अडारकर आदि थे। इस श्रम अन्वेषण समिति को रेगे कमेटी के नाम से भी जाना जाता है।[29] बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा 9 अप्रैल 1944 तक इन 35 रिपोर्टों में से 20 को संसद के पटल पर रखा था। जो प्रदत्त इस समिति ने एकत्रित किए थेए वे 38 चयनित उद्योगों के वेतनए मजदूरीए नियोजनए आवास व श्रम की सामाजिक हालात से संबंध थे। इन उद्योगों में मुख्य थे- (अ) खनन क्षेत्र में कोयलाए मैगनीजए सोनाए अभ्रक लोहा और नमकए ;ब) बागान क्षेत्र- चायए कॉफी और रबरए ;स) कारखाना क्षेत्रए सूतए जूटए सिल्क ऊनए तेलए बंदरगाहए इंजिनियरिंगए सीमेण्ट दियासिलाईए पेपरए दरी-बुनाईए कॉयरमेटिंगए चर्म शोधन व चर्म उत्पादनए कुम्भकारीए छापाखानाए ग्लासए रसायन व कार्मास्युटिकल कार्यए ौमससंबए बीड़ी-निर्माणए माइकाए शक्करए सूतए जिनिंग व बेलिंग तथा चावल मिले आदि। (द) परिवहन क्षेत्र-ट्रामवेजए बसपरिवहन और नॉनगजेटिव रेलवे स्टाफए ;य) अन्य क्षेत्र-बन्दरगाह श्रमिकए म्युनिसिपल श्रमिकए केन्द्रीय जन कार्य विभागए और रिक्शा चालक इससे **;इण्डियन इन्फोरमेशन के 15 अप्रैल 1946 पृष्ठ 568)** में दर्शाया गया कि श्रमिकों के सुरक्षा कार्यक्रम योजना बनाने में और विधि निर्माण में भविष्य में सरकार को मदद मिलेगी।

इस श्रम अन्वेषण समिति ने बड़ी मेहनत से यह रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें जहां उद्योगवार श्रमिकों की कठिनाइयों का सर्वे किया गयाए वहीं क्षेत्रवार भी सर्वे किया गया था। श्रम हालात की विस्तृत सांख्यिकी जो इससे पूर्व नहीं थीए उपलब्ध करवा के इस समिति ने एक ऐतिहासिक कार्य किया।[30] इसके लिए इसके योजनाकार आंबेडकर की श्रमिकों के प्रति संकल्पबद्धता स्पष्ट झलकती हैए जिन्होंने श्रम कल्याण व श्रम सुरक्षा तथा तत्सम्बंधित विधि बनाने में सांख्यिकीय सम्बंधित आने वाले रोड़ों को दूर करवाया। श्रम इतिहास में आज भी यह समिति अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। स्त्रियों को प्रसूति सुविधाएं, 28 जुलाई 1928 में जब अम्बेडकर मुंबई लेजिसलेटिव कौंसिल के सदस्य थेए तब स्त्रियों के लिए कौंसिल में एक श्प्रसूति सुविधा बिलश प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा था कि स्त्रियों की प्रसूति घटना साधारण घटनाओं से भिन्न प्रकार की घटना है। उस समय उन्हें प्रसूति के पूर्व तथा बाद में भी कुछ समय तक आराम की तथा विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रसूति के लिए मिल-मालकों को उत्तरदायी ठहराते हुए बिल का समर्थन किया था। परिणामत: स्त्रियों को प्रसूति की सुविधाएं प्राप्त हुईए जो आज भी मिल रही हैं।[31] वहीं लेबर पार्टी का लक्ष्य था औद्योगीकरण श्रमिकों के हित के लिए प्रयास करना तथा विभिन्न समस्याओं जैसे कारखानों में धमिकों की नियुक्तिए बर्खास्तगी और पदोन्नतिए कार्य के अधिक घंटों को निश्चित करनाए पर्याप्त मजदूरी का प्रावधानए पूर्ण वेतन पर छुट्टीए श्रमिकों को सस्ते एवं स्वच्छ मकान उपलब्ध कराने हेतु विधान तैयार करना।[32] 12-13 फरवरीए 1938 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने रेलवे के अछूत मजदूरों की एक बड़ी सभा को मानवाड़ में संबोधित करते हुए बताया किए मैं बचपन में अपने रिश्तेदारों के लिए टिफिन कपड़ा मीलों में देने जाता था और इससे मुझे वहां के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार देश में श्रमिक वर्ग के दो शत्रु हैं-ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद 12 रेलवे में पोर्टर जैसी नौकरियों में भी दलितों को भर्ती नहीं किया जाता था। कारण यह था कि स्टेशन मास्टर उनसे घरेलू काम लेते थे। इसलिए वे सवर्ण जातियों के लोगों की भर्ती करते थे। अम्बेडकर ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और संघर्ष किया।[33]

हड़ताल एवं अधिकार

15 सितंबर 1938 को मुंबई सरकार ने विधान सभा में औद्योगिक विवाद बिल पेश किया। जिसका उद्देश्य था (1) औद्योगिक देशों में समझौते को बाध्यकारी बनाना। सभी उद्योगों में वर्ष की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना हड़तालियों को दंडित करना अम्बेडकर ने इस बिल का विरोध किया और कहाए उद्योगपतियों की शक्ति के लिए मजदूरों को जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता है। इस बिल का सही नाम तो मजदूरों के नागरिक अधिकार हनन बिल होना चाहिए। यह बिल प्रतिक्रियावादी और विपरीतगामी हैं। इस मजदूर विरोधी बिल के विरोध में अम्बेडकर ने मुंबई तथा अन्य नगरों में एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा की।[34] इसके साथ 8 नवंबर 1945 को भीमराव अम्बेडकर ने कटक (उड़ीसा) में नहुंपंथी दरियायी कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस कांफ्रेंस के निर्माताओं ने दामोदर पाटी परियोजना को जन्म दिया। इसी कारण उड़ीसा बाढ़ की चपेट से बच सका। इस प्रोजेक्ट से हजारों मजदूरों को रोजी-रोटी मिल सकी और देश में उत्पादन बढ़ा। औद्योगिक अशांति रोकने के उपाय भीमराव अम्बेडकर ने औद्योगिक

अशांति रोकने के लिए तीन उपाय बताए - (1) समझौते के लिए योग्य प्रशासन। (2) औद्योगिक शिकायत सुधार (3) श्रमिकों का न्यूनतम वेतन का निर्धारण। कानून में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के पद पर रहते हुए भीमराव अम्बेडकर ने मजदूरों के संगठन को एक निश्चित दिशा दी। मजदूरों को अति निर्दयी शर्तों और परिस्थितियों में काम करने को विवश किया जाता था। अनेक उद्योगों में उनका कोई निश्चित वेतन नहीं था और न सेवा की कोई निर्धारित शर्त ही थी।[35] भीमराव अम्बेडकर ने सेंट्रल असेंबली में जनवरी 1946 को एक बिल पेश कियाए जो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (मिनिमम वेजिज एक्ट) बना। साथ ही अम्बेडकर ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता भी दिलाई। सफाई मजदूरों के लिए कल्याणकारी कार्य महत्वपूर्ण योगदान दिया भीमराव अम्बेडकर के वायसराय की कॉसिल में आने के पहले दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की हालत बड़ी खराब थी। भर्ती के समय ठेकेदार उनका खूब शोषण करते थे। उन्हें कभी पूरा वेतन नहीं मिलता था। नगर पालिका ने सफाई मजदूरों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए नाना प्रकार के नियम बना रखे थे। सफाई मजदूरों द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल करना तो दूरए यदि वे एक सप्ताह तक काम पर न आयें तो दण्ड स्वरूप उन्हें 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता था।[36] अम्बेडकर ने ऐसे सभी काले कानूनों को समाप्त कराया।

खान श्रमिकों के लिए नियम तथा तथा उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाये, श्रम मंत्री बनने के बाद अम्बेडकर ने सारे देश के मजदूरों की भलाई के लिए कई कानून बनाए थे। उनमें मजदूर संगठनए सामाजिक सुरक्षाए बीमा योजनाए खानों में सुधार आदि शामिल थे। धनवादए आसनसोल आदि की कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा बड़ी ही दयनीय थी। अगर कोई मजदूर गंभीर बीमारी के कारण काम नहीं कर पाता थाए तो उसे जिंदा ही आग की भट्टी में झोंक दिया जाता था। वेतन रजिस्टर में उनका वेतन लिखा कुछ होता था और दिया कुछ और ही जाता था। खान मजदूरों के वेतन की सुरक्षा के लिए अम्बेडकर के अथक प्रयासों से 1944 में गोरखपुर में श्लेबर डिपोश खोला गया। डिपो का काम था खानों के मालिकों से खान मजदूरों के वेतन को डिपो में जमा कराना। डिपो के द्वारा एकत्रित पैसा मजदूरों या उनके परिवार वालों को दिया जाता था।[37] वह डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल ट्रेडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट नाम से श्रम मंत्रालयए नई दिल्ली में आज भी कार्य कर रहा है। श्रम कल्याण कोष, अम्बेडकर ने श्रम सदस्य के अपने कार्यकाल में श्श्रम कल्याण कोषश स्थापित करने हेतु पांच विधान तैयार करवाए थे। जो इस प्रकार हैं-

- कोयला खान कल्याण कोष ।
- अभ्रक कल्याण कोष ।
- लोहे अयस्क और मैगनीज कल्याण कोष ।
- लाइम स्टोन और डोलोमाइट कल्याण कोष ।
- बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष ।

उन दिनों श्रमिकों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिलता था। खदान श्रमिकों के लिए साफ-सफाई व्यवस्थाएं भी नहीं की जाती थी। स्वास्थ्य रक्षक सुविधाएं भी अपर्याप्त थी।[38] स्थायी श्रम समिति की पहली बैठक 1 दिसंबर 1942 को श्रम सदस्य अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई। उसमें शासन ने कोयला खदान श्रमिकों की आवासए शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षक सुविधाओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना की प्रस्तावना की थी।[39]

स्थाई श्रम समिति व रोजगार केंद्र की स्थापना पर जोर भीमराव अम्बेडकर ने श्रम सदस्य के कार्यकाल में श्रम कल्याण में गहराई से चिंतन किया। उन्होंने स्थाई श्रम समिति बनाने का निश्चय किया। फलस्वरुप 7 मई 1943 को श्रम सम्मेलन के आयोजन में अमेरिका व इंग्लैंड के उदाहरण पर संयुक्त श्रम प्रबंध बनाने का निश्चय किया गया।[40] दूसरा प्रस्ताव एक रोजगार केंद्र खोलने का था। यह विचार नया थाए पर बहुत जरूरी भी था। इस प्रकार श्रम मंत्री के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए जैसे मजदूरी वृद्धिए अवकाशए काम के निश्चित घंटे (12 घंटे कीजगह 8 घंटे)ए आवासए शिक्षाए स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि। अतः यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है कि बाबा साहब के श्रम चिंतन की उपयोगिता न केवल आज है बल्कि भविष्य में भी आदर्श के तौर पर हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी।

सन्दर्भ सूची

1ण जाधव नरेन्द्र,डॉ अम्बेडकर आर्थिक विचार एवं दर्शन, प्रभात प्रकाशन,दिल्ली, 2008 पृष्ठ.42

2ए उपरोक्त, पृष्ठ. 43

3ए उपरोक्त, पृष्ठ. 45

4ए डॉ. बाबा साहब अम्बेडकरए शराइटिंग्स एंड स्पीचेजश वाल्यूम 6 (गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र) 1989ए पृष्ठ 71

5ए उपरोक्त, पृष्ठ. 74

6ए नगर डॉ विष्णु दत्त और पंडित नगर डॉ कृषण वल्लभ, डॉ अम्बेडकर के आर्थिक विचार और नीतियाँ, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ आकदमी भोपाल, चतुर्थ संस्करण 2017, पृष्ठ.49

7ए उपरोक्त, पृष्ठ. 56

8ए उपरोक्त, पृष्ठ. 57 -58

9ए उपरोक्त, पृष्ठ. 58

10ए नागरए वी.डी. सामाजिक न्याय के सतर्कता प्रहरीए ;सेगमेन्टए नई दिल्ली) 1990ए पृष्ठ 23

11ए डोगरे एम.के.ए इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ डॉ. बी. आर. अम्बेडकरए ;अम्बेडकर समाजए जयपुर) 1974 पृष्ठ 19

12ए कौर धनंजयए डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जीवन-चरितए ;पॉपुलर प्रकाशनए नई दिल्ली) 1996ए पृष्ठ 30-31

13ए उपरोक्त, पृष्ठ. 56

14ए डॉ. बाबा साहब अम्बेडकरए शराइटिंग्स एंड स्पीचेजश वाल्यूम 6 (गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र) 1989ए पृष्ठ 89

15ए उपरोक्त, पृष्ठ. 88

16ए उपरोक्त, पृष्ठ. 89

17ए सिंहए आर.जी. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अ सोशल साइन्टिस्टए ;जर्नल ऑफ सोशल डवलपमेन्ट एंड जस्टिसए भोपाल) 1991ए पृष्ठ 34

18ए उपरोक्त, पृष्ठ. 35

19ए उपरोक्त, पृष्ठ. 36

20ए उपरोक्तए पृष्ठ 39

21ए जाटवए डी.आर.ए डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचारए ;समता साहित्य सदनए जयपुर) 1996ए पृष्ठ 8-10

22ए उपरोक्त, पृष्ठ. 13-14

23ए कुबेर डब्ल्यू. एन. डॉ. अम्बेडकर: अ क्रिटिकल स्टडी (पीपुल पब्लिशिंग हाउसए नई दिल्ली) 1979ए पृष्ठ 31

24ए उपरोक्त, पृष्ठ. 32

25ए उपरोक्तए पृष्ठ 34-35

26ए कीरए धनंजयए डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरितए पूर्वोक्तए पृष्ठ 378

27ए उपरोक्तए पृष्ठ 379

28ए रामगोपाल सिंहए डॉ. भीमराव अम्बेडकरए समाज वैज्ञानिकए ;मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमीए भोपाल) 1992ए पृष्ठ 78.79

29ए उपरोक्तए पृष्ठ 81

30ए डॉ. बाबा साहब अम्बेडकरए शराइटिंग्स एंड स्पीचेजश वाल्यूम 6 (गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र) 1989ए पृष्ठ 71

31ए उपरोक्तए पृष्ठ 73

32ए उपरोक्तए पृष्ठ 76 15

33ए उपरोक्तए पृष्ठ 80

34ए उपरोक्तए पृष्ठ 80

35ए जाटवए डी.आर.ए इकोनॉमिक थॉट ऑफ डॉ. अंबेडकर (समता साहित्य सदनए जयपुर) 1996ए पृ.41

36ए उपरोक्तए पृष्ठ 43

37ए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर श्राइटिंग्स एंड स्पीचेजश वाल्यूम 6 पूर्वोक्तए पृष्ठ 201

38ए जाधवए नरेंद्र, डॉ अम्बेडकर आर्थिक विचार एवं दर्शन, नई दिल्ली प्रभात प्रकाशन, 2008, पृष्ठ 44

39ए उपरोक्तए पृष्ठ 46

40ए किशोर मकवाणा, डॉक्टर अम्बेडकर आयाम दर्शन नई दिल्लीए प्रभात प्रकाशन, 2015 पृष्ठ 32